रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 1998/भाद्र 2, 1920
No. 186] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 1998/BHADRA 2, 1920

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 32 (पी. एन.)/1997-2002

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1998

फा.सं. 1/296/97-पी सी-2.—सांविधिक आदेश संख्या 283(अ) दिनांक 31-3-97 के द्वारा प्रकाशित भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उप खण्ड-2 में यथा अधिसूचित निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 के पैराग्राफ 4.11 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), 1997—2002 में, एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

1. प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 1997-2002 के पैराग्राफ 8.19 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

"लाइसेंसिंग प्राधिकारी किए गए आयातों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के सन्दर्भ में पूरे न किए निर्यात दायित्व के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य पर 1 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान करके एक अथवा उससे अधिक खेप/साइट के प्रति चार महीनों की अवधि के लिए निर्यात दायित्व अवधि में उस विस्तार की मंजूरी दे सकता है जिसके लिए आवेदन किया गया हो। चार महीनों से अधिक विस्तार देने के किसी भी अनुरोध पर केवल महानिदेशक, विदेश व्यापार की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा।"

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 32 (PN)/1997-2002

New Delhi, the 24th August, 1998

F. No. 1/296/97-PC-II.—In exercise of powers conferred under Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997-2002, as notified in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. No. 283(E) dated 31-3-1997 the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Hand-Book of Procedures (Vol. 1), 1997—2002 :—

1. Paragraph 8.19 of the Hand-Book of Procedures (Vol. 1), 1997-2002 shall be amended to read as follows :

"The Licensing Authority may grant extension in export obligation period for a period of four months against one or more consignment/sight on payment of penalty of 1% on the unfulfilled fob value of export obligation with reference to cif value of the imports made for which extension is being sought. Any request for extension beyond a period of four months can be considered only by a committee headed by Director General of Foreign Trade.

2. This issues in public interest.

N. L. LAKHANPAL, Dir. Genl. of Foreign Trade

2272 GI/98

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998